कार्यालय जिला पंचायत, जिला–कोरबा (छ.ग.)

Email ID- Zp-Korba.Cg@Nic.In
Korbaddp@Gmail.Com

/ /आदेश/ /

क्रमांक 2131/पंचा.पदस्था./2022 कोरबा, दिनांक 17/10/2022

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पाली, जिला कोरबा (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/2629/स्था./ज.प./2022–23 पाली, दिनांक 12.09.2022 के तहत् प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आपके द्वारा बिना पूर्व सूचना के समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहना, शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना में गोबर खरीदी नहीं करना एवं कोविड–19 टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण अभियान में रूचि नहीं लेना, उच्च अधिकारियों के आदेश/निर्देश की अवहेलना करना शासकीय कार्य में उदासीनता एवं कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही का प्रतीक है। जो कि **छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम–1999** के विपरीत है तथा कदाचार की श्रेणी में आता है।

अतः श्री रामेश्वर आर्मो, सचिव ग्राम पंचायत मादन जनपद पंचायत पाली, जिला कोरबा को तत्काल ग्राम पंचायत सचिव पद से निलंबित किया जाता है। नियमानुसार श्री रामेश्वर आर्मो को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी तथा निलंबन अवधि में मुख्यालय जनपद पंचायत पोड़ीउपरोड़ा निर्धारित की जाती है। श्री मोक्ष, ग्राम पंचायत सचिव को ग्राम पंचायत मादन का प्रभार आगामी आदेश पर्यन्त सौंपा जाता है।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–कोरबा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 2132/पंचा.पदस्था./2022 कोरबा, दिनांक 17/10/2022

प्रतिलिपि :–

1) कलेक्टर, जिला–कोरबा की ओर सादर सूचनार्थ।
2) उप संचालक पंचायत कोरबा को सूचनार्थ।
3) अनुविभागीय अधिकारी (रा०) अनुविभाग पाली को सूचनार्थ।
4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पाली, जिला कोरबा को लेख है, कि उक्त ग्राम पंचायत सचिव का आरोप पत्र, आरोप विवरण, साक्ष्य की प्रति इस कार्यालय को समय–सीमा में उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5) वरि.आंत.लेखा.परी.एवं करा.अधिकारी जनपद पंचायत पाली को सूचनार्थ। आप संबंधित को पत्र तामिल कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति इस कार्यालय को तीन दिवस के भीतर प्रेषित् करें।
6) सरपंच ग्राम पंचायत मादन/भण्डारखोल जनपद पंचायत पाली को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7) संबंधित सचिव श्री रामेश्वर आर्मो ग्राम पंचायत मादन को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8) कार्यालयीन शाखा लिपिक को सूचनार्थ। आप संबंधित के मूल सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करने की आवश्यक कार्यवाहीं करें।
9) श्री मोक्ष ग्राम पंचायत सचिव को ग्राम पंचायत मादन जनपद पंचायत पाली का प्रभार प्राप्त करने सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय जिला पंचायत, जिला–कोरबा (छ.ग.)

Email ID- Zp-Korba.Cg@Nic.In
Korbaddp@Gmail.Com

//आदेश//

क्रमांक/2133/पंचा.पदस्था./2022 कोरबा, दिनांक 17/10/2022

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पाली, जिला कोरबा (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/2631/स्था./ज.प./2022–23 पाली, दिनांक 12.09.2022 के तहत् प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आपको जनपद पंचायत पाली के कार्यालयीन आदेश (भारमुक्त संबंधी) क्रमांक/713/स्था./ज.पं/2022–23 पाली, दिनांक 04.05.2022 के तहत् ग्राम पंचायत बसीबार से उतरदा के लिये भारमुक्त किया गया है, जिसका पालन आपके द्वारा आज पर्यन्त नहीं किया गया है। जिससे ग्राम पंचायत उतरदा का जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना में गोबर खरीदी नहीं करना, एवं कोविड–19 टीकाकरण जैसे अतिमहत्वपूर्ण अभियान का कार्य नहीं करना। उच्च अधिकारियों के आदेश/निर्देश की अवहेलना करना शासकीय कार्य में उदासीनता एवं कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही का प्रतीक है। जो कि **छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम–1999** के विपरीत है तथा कदाचार की श्रेणी में आता है।

अतः श्री होरी सिंह कंवर , सचिव ग्राम पंचायत उतरदा जनपद पंचायत पाली, जिला कोरबा को तत्काल ग्राम पंचायत सचिव पद से निलंबित किया जाता है। नियमानुसार श्री होरी सिंह कंवर को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी तथा निलंबन अवधि में मुख्यालय जनपद पंचायत पोड़ीउपरोड़ा निर्धारित की जाती है। श्री ईश्वर सिंह पोर्ते, सचिव ग्राम पंचायत अमगांव को ग्राम पंचायत उतरदा का अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश पर्यन्त सौंपा जाता है।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–कोरबा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/2134/पंचा.पदस्था./2022 कोरबा, दिनांक 17/10/2022

प्रतिलिपि :–

1) कलेक्टर, जिला–कोरबा की ओर सादर सूचनार्थ।
2) उप संचालक पंचायत कोरबा को सूचनार्थ।
3) अनुविभागीय अधिकारी (रा॰) अनुविभाग पाली को सूचनार्थ।
4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पाली, जिला कोरबा को लेख है, कि उक्त ग्राम पंचायत सचिव का आरोप पत्र, आरोप विवरण, साक्ष्य की प्रति इस कार्यालय को समय–सीमा में उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5) वरि.आंत.लेखा.परी.एवं करा.अधिकारी जनपद पंचायत पाली को सूचनार्थ। आप संबंधित को पत्र तामिल कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति इस कार्यालय को तीन दिवस के भीतर प्रेषित् करें।
6) सरपंच ग्राम पंचायत उतरदा/अमगांव जनपद पंचायत पाली को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7) संबंधित सचिव श्री होरी सिंह कंवर ग्राम पंचायत उतरदा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8) कार्यालयीन शाखा लिपिक को सूचनार्थ। आप संबंधित के मूल सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करने की आवश्यक कार्यवाही करें।
9) श्री ईश्वर सिंह पोर्ते सचिव ग्राम पंचायत अमगांव को ग्राम पंचायत उतरदा जनपद पंचायत पाली का अतिरिक्त प्रभार प्राप्त करने सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–कोरबा (छ.ग.)